विषय :—भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास ।

क्या वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव हरियाणा सरकार के परिपत्र संख्या जी0एस0 II-71/8459, दिनांक 22-4-1971 में दिये गए अनुदेशों की ओर ध्यान देंगे जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि अनारक्षित रिक्तियों को पूरा करते समय दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में अन्य बातें समान होने पर भूतपूर्व सैनिकों को अधिमान दिया जाना चाहिए ?

2. जबकि भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास मुख्यतः राज्य की जिम्मेदारी है, फिर भी राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निगमों इत्यादि से भी कुछ सीमा तक भूतपूर्व सनिकों के पुनर्वास में सहायता करने की आशा की जाती है। अतः यह अनुरोध है कि इस विभाग को सूचित करते हुए सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों को, उचित अनुदेश जारी किए जाएं, जिनके द्वारा उन्हें परामर्श दिया जाए कि रिक्तियों को भरते समय, अन्य सभी बातें समान होने पर भूतपूर्व सैनिको को अधिमान दिया जाना चाहिए ।

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

वित्तायुक्त, राजस्व, हरियाणा, हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव ।

अशा: क्रमांक 1359 जी0एस0-II-73/ दिनांक चण्डीगढ़, 19 अप्रैल, 1973.